न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 88 सन 2018

अनवान :–

1. मिठुलाल पुत्र इन्द्रसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।

बनाम

1. इन्द्रसिह पुत्र जोतराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. मक्खनलाल पुत्र इन्द्रसिह जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर
3. कमला पत्नि स्व दलीप जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. प्रविन्द 5 शकुन्तला 6 योगमाया पुत्र/पुत्रीया स्व दलीप जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 05.02.2019

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 18/12 के प0न0 373/442(53) के किला न0 21/0.2530 ,प0न0 372/442(54) के किला न0 25/0.2530 ,प0न0 373/443(55) के किला न0 5/0.2530 ,6/0.2530 ,15 ,16/0.506 प0न0 373/443(56) किला न0 1/0.2530 ,9/2 की 0.1260हैक किला न0 10 ,11 ,12 /0.759हैक 19 ,20/0.506हैक , 22/0.2530हैक कुल 8 किता 1.8970हैक प0न0 374/444(89) के किला न0 18/0.2530 ,23/0.2530 कुल 3.921हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा जोतराम पुत्र हरचन्द के नाम से दर्ज थी वादी के दादा जोतराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 18/12 की कुल 3.921हैक भूमि प्राप्त हुई है विरास्तन से भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 5 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानू के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने

Web Copy - Not Official

अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाई/पिता के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ,4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ,6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्रि है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ,6 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्रि किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 18/12 की कुल 3.921है0 भूमि में वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 अकेला 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्रि जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy Not Official